पत्र सूचना शाखा
(मुख्य सचिव मीडिया कैम्प)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में उद्यमियों की उठाई गयी समस्याओं का निस्तारण नियमानुसार प्रत्येक दशा में आगामी 15 दिन के अन्दर अवश्य सुनिश्चित कराना होगा : मुख्य सचिव

उद्यमियों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही किसी भी स्तर पर हुई तो सम्बन्धित अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा : आलोक रंजन

उद्योगों के प्रति सोच सकारात्मक रखकर समस्याओं का निदान तत्परता से कराया जाय : मुख्य सचिव

राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति बैठक में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लगभग 22 प्रकरणों में से अधिकांश का तत्काल निराकरण कराते हुए अनिस्तारित प्रकरणों को आगामी 15 दिन के अन्दर निस्तारित कराने के मुख्य सचिव के निर्देश

लखनऊ : 05 दिसम्बर, 2014

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को निर्देश दिए हैं कि राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में उद्यमियों की उठाई गयी समस्याओं का निस्तारण नियमानुसार प्रत्येक दशा में आगामी 15 दिन के अन्दर अवश्य सुनिश्चित करा दिया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु कृतसंकल्पित है इसलिए उद्यमियों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही किसी भी स्तर पर हुई तो सम्बन्धित अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का समाधान निर्धारित अवधि में कराने हेतु निरन्तर मानिटरिंग सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि उद्योगों के प्रति सोच सकारात्मक रखकर समस्याओं का निदान तत्परता से कराया जाना होगा।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लगभग 22 प्रकरण विचाराधीन थे जिनमें से अधिकांश का तत्काल निराकरण कराते हुए अनिस्तारित प्रकरणों को आगामी 15 दिन के अन्दर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इण्डियन केमिकल काउन्सिल द्वारा निर्माता निर्यातकों द्वारा डिनेचर्ड स्प्रिट की सीधी खरीद व उनको सीधी बिक्री पर क्रय–शुल्क से छूट दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर 15 दिन के अन्दर आबकारी विभाग आइआइडीसी0 की अध्यक्षता में बैठक कराकर स्पष्ट निर्णय ले ले। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अन्तर्गत अलीगढ़ स्थित रामवे फूड्स के मण्डी शुल्क से राहत प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर निर्गत कर दिये जाय।

श्री रंजन ने कहा कि शामली स्थित औद्योगिक स्थान, खेड़ी करमू के सामने स्थित नाले का निर्माण एवं उसकी मरम्मत हेतु वांछित धनराशि सिंचाई विभाग को अपवाद स्वरूप अवस्थापना विकास निधि से दे दी जाय किन्तु चूंकि प्रदेश के सभी औद्योगिक आस्थानों एवं क्षेत्रों में नालों की यही स्थिति है अतः उद्योग निदेशालय एवं यूपीएसआईडीसी संयुक्त रूप से इसका अध्ययन करते हुए एक समेकित नीति का प्रस्ताव तैयार कर 01 माह में शासन को प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डीआई रेट कान्ट्रेक्ट की व्यवस्था को जल्दी ही पुन : लागू किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि निबन्धन विभाग से सम्बन्धित प्रोवेन्शियल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन गाजियाबाद इन्डस्ट्रीज फेडरेशन द्वारा उठाये गये प्रकरणों पर निबन्धन विभाग द्वारा उद्यमी संगठनों के साथ विस्तार से बैठक करते हुए उनकी समस्याओं का समुचित समाधान सुनिश्चित कराया जाय।

उन्होंने राजस्व विभाग से सम्बन्धित इलाहाबाद स्थित मंगलौर मिनिरल एवं हापुड़ स्थित रेडिकल फूडस की समस्याओं का निस्तारण 15 दिन के अन्दर किये जाने हेतु प्रमुख सचिव राजस्व को निर्देश दिए।

इसी प्रकार हापुड़ स्थित रेडिकल फूडस को अनापत्ति हेतु वन विभाग को औपचारिक रूप से आवेदन हेतु परामर्शित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इकाई के परिसर तक पहुंच मार्ग का निर्माण हापुड़ –पिलखुआ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा जिसके लिए धन ईकाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि हापुड़ स्थित मेरिनो इन्डस्ट्रीज को देय 4.5 एकड़ भूमि में से अविवादित भूमि को शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 15 दिन के अन्दर ले लिया जाय।

बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण एवं आबकारी श्री के0एस0 अटोरिया, प्रमुख सचिव स्टाम्प रजिस्ट्रेशन श्री अनिल कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व, श्री सुरेश चन्द्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा उद्यमी प्रतिनिधि उपस्थित थे।

————————

pn-cs udyog bandhu 05 dec, 2014
सम्पर्क सूत्र : श्री दिवाकर खरे, मीडिया प्रभारी, मुख्य सचिव, 9453005368, दिनेश कुमार सिंह सूचना अधिकारी, 9452027977